न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—78/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/78

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
1. खुमाराम पुत्र श्री गमनाजी 2. पीराराम पुत्र श्री गमनाजी 3. लक्ष्मणाराम पुत्र श्री गमनाजी 4. मूलाराम पुत्र श्री गमनाजी सभी जाति माली निवासी दुठवा तहसील चितलवाना, जिला जालोर।		1. गणेशा पुत्र अंचलाजी के का०मु०— 1/1 कुम्भाराम पुत्र स्व० श्री गणेशाराम 1/2 रागाराम पुत्र स्व० श्री गणेशाराम 1/3 चुनाराम पुत्र स्व० श्री गणेशाराम सभी जाति माली निवासी पादरड़ी तहसील चितलवाना जिला जालोर। 2. मानाराम पुत्र श्री गमनाजी फौत के का०मु०— 2/1 माईगाराम पुत्र स्व० श्री मानाराम 2/2 मूपाराम पुत्र स्व० श्री मानाराम 2/3 मेवाराम पुत्र स्व० श्री मानाराम 2/4 रणछोड़ाराम पुत्र स्व० श्री मानाराम सभी जाति माली निवासी दुठवा तहसील चितलवाना, जिला जालोर। 3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार चितलवाना।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 09.10.2019 जो राजस्व अपील संख्या 14/2017 अनवान खुमाराम बनाम गणेशा वगेरा में जिला कलक्टर जालोर द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा सहायक भू अभिलेख अधिकारी सांचोर कैप होतीगांव के मिसल संख्या 295/56 निर्णय दिनांक 06.04.1956 पारित आदेश

उपस्थिति :—
1. श्री लाधूराम पूनिया, श्री राजूराम हरियाल विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 24.12.2024

1. न्यायालय जिला कलक्टर जालोर द्वारा पारितआदेश दिनांक 09.10.2019 जो राजस्व अपील संख्या 14/2017 अनवान खुमाराम बनाम गणेशा वगेरा जिसके द्वारा सहायक भू अभिलेख अधिकारी सांचोर कैप होतीगांव के मिसल संख्या 295/56 निर्णय दिनांक 06.04.1956 मौजा दुठवा के ख०न० 700 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा के पारित आदेश के विरूद्ध

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

प्रस्तुत अपील को लोटाये जाने का आदेश दियासे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यहअपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

विद्वानजिला कलक्टर जालोर का आदेश विधि, न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान जिला कलक्टर जालोर द्वारा विद्वान सहायक भू अभिलेख अधिकारी एंव भूप्रबंध अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को भूप्रबंध अधिकारी की हैसियत से पारित किया जाना मानने में भारी विधिक भूल की गयी है। जबकि उक्त आदेश सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसकी अपील भू अभिलेख अधिकारी एवं जिला कलक्टर को होती है। इसकारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2019 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान जिला कलक्टर जालोर ने सहायक भू अभिलेख अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को धारा 75 (1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो मे श्रवणाधिकार को नही होना मानने में भारी भूल की गयी है जबकि उक्त आदेश की अपील भू अभिलेख अधिकारी को होती है जो अधिकार सेटलमेन्ट समाप्त होने के बाद जिला कलक्टर के पास है। इसलिये विद्वान जिला कलक्टर ने इस कानूनी प्रावधानो की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान सहायक भू अभिलेख अधिकारी का आदेश खातेदारी घोषणा प्रदान करने का पारित किया गया है जिसका की उसको कोई अधिकार नहीं है खातेदारी की घोषणा केवल और केवल सहायक कलक्टर ही पारित कर सकता है। इसकारण विद्वान सहायक भू अभिलेख अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–04–1956 गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज गुमनाजी की खातेदारी की एवं पटटे की थी जिसके रेकर्ड को परिवर्तन करने का भूप्रबंध के दौरान भू प्रबंध अधिकारियो को कोई अधिकार नहीं है इस कारण सहायक भू अभिलेख अधिकारी का अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार का होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलार्थीगण की प्रथम अपील के आधार इस अपील के भी आधार माने जाकर पढे जायें।

विद्वान जिला कलक्टर जालोर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–10–2019 पूर्णरूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरित मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण है तथा विद्वान जिला कलक्टर जालोर द्वारा उसके न्यायालय में अपीलार्थीगण की प्रथम अपील का सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होना कहकर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु लोटाये जाने का आदेश देने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। जबकि अपीलाधीन आदेश सहायक भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित कियागया जिसकी प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75(1) (d) में भू अभिलेख अधिकारी एवं जिला कलक्टर को होती है। इन प्रावधानो की अनदेखी कर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को सक्षम न्यायालय ने प्रस्तुत करने के लिये लोटाये जाने का गैर कानूनी आदेश पारित किया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 गणेशा पुत्र अचला ने संबंधित सहायक भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष के रेकर्ड दुरूस्ती के लिये एक उजरदारी यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि ग्राम दुठवा के खेत ख०न० 700 रकवा 47 बीघा 18 बिस्वा कातरणीया नाम का सायल के कब्जासुदा है जिसमे सायल काश्त करता है। वक्त पैमाईस के गैरसायल गुमना ने खातेदारी का हक दर्ज करवाया है वह खेता ने 1/4 हिस्सा का सिकमी काश्त दर्ज करवाया और 3/4 हिस्सा मे से सायल का सिकमी काश्तकार रखा है। जिसका पटटा गैरसायल गुमना को दिया है। गुमना का कब्जा काश्त नहीं है खेत सायल अकेले के कब्जासूद है। लिहाजा तहकीकात की जाकर उपरोक्त खेत का इन्दाज सायल के नाम करावे। गैरसायल का नाम खारिज करावे।

स्व० गुमना ने जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त खेत ख०न० 700 गैरसायल गुमना का 2005 से कब्जाकाश्तसुदा है जिसको 2009 में वह बीमार होने से सायल को एक साल के लिये पांती पर लिया था, फिर फसल लेने के बाद उसने कब्जा छोड़ दिया। आज दिन तक कब्जा व काश्त गैरसायल संख्या 1 का चला आ रहा है। इसलिये इन्द्राज दुरुस्त है। पर्चा गैरसायल संख्या 1 को दिया गया उजरदारी सायल खारिज की जावे।

गैरसायल खेता ने उक्त उजरदारी का जबाब प्रस्तुत कर बताया कि आधा हिस्सा सायल का, 1/4 हिस्सा गैरसायल नम्बर 1 गुमना का, 1/4 हिस्सा गैरसायल नम्बर 2 खेता का बताकर जबाब प्रस्तुत किया।

उक्त उजरदारी का निर्णय दिनांक 06.04.1956 को किया जाकर विद्वान सहायक भू अभिलेख अधिकारी ने सायल गणेश का 1/2 हिस्सा व आधा हिस्सा गैरसायल गुमना का दर्ज करने का आदेश दे दिया। इसके बाद गुमना जी का देहांत हो गया तथा बाद मे सर्वे एण्ड सेटलमेन्ट ही पूर्ण हो गया।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

मृतक गुमनाजी के विधिक प्रतिनिधि अपीलार्थीगण को उपरोक्त निर्णय की जानकारी होने पर प्रथम अपील विद्वान जिला कलक्टर जालोर को जिसके पास भू अभिलेख अधिकारी के अधिकार है को प्रस्तुत की जिसको विद्वान जिला कलक्टर जालोर ने अपने आदेश दिनांक 09.10.2019 के द्वारा अपील उनके क्षेत्राधिकार की नही होना कहकर उसको समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लोटाये जाने का आदेश दे दिया।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2019 को रदद व अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा विद्वान जिला कलक्टर जालोर को अपीलार्थीगण की प्रथम अपील को श्रवण कर उसके गुणावगुण पर निर्णय दिये जाने का आदेश फरमावे तथा अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो सादिर फरमाया जाये।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

रेस्पोईन्ट से. 1/1 से 1/3 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 अधिनियम का जवाव पेश किया गया है कि प्रथम सेटलमेट के वक्त सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, सांचौर द्वारा ग्राम दूठवा के खसरा नं. 700 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा की भूमि के 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट के पिता गणेशा का कब्जा काश्त था। जिससे सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, सांचौर द्वारा बकायदा प्रकरण दर्ज कर दोनो पक्षों की सुनवाई कर दियांक 01.04. 1956 को निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट के पिता गणेशा कर 1/2 हिस्से की खातेदारी आराजी दी गई। जिसका ज्ञान गुमना को था तथा गुमना ने अपने जीवन काल में कोई उजर एतराज आदि नहीं किया तथा न ही उक्त निर्णय को कोई अपील, रिविजन आदि सक्षम न्यायालय में नहीं की गई तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट प्रथम सेटलमेंट के पहले से ही 1/2–1/2 हिस्से पर कास्त करते आ रहे है। गुमना की मृत्यु पटवारी हल्का दूठ्या द्वारा दिनांक 23.10.2003 को फौतगी म्यूटेशन भरते वक्त गुमना फौत हुए करीब 12 वर्ष होने से इनके उतराधिकारी प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत दूठया के आधार पर नामान्तरकरण भरा गया का कथन किया गया है जिससे गुमना की मृत्यु दिनांक 23.10.2003 से पूर्व 12 वर्ष यानि 1991 को हो चुकी थी फिर भी अपीलांट द्वारा अपील के पैरा स. 2 में गुमना वल्द वरदा का स्वर्गवास वर्ष 1995 में होने का कथन किया गया है जो विरोधाभाषी है यानि अपीलांट को यह पता भी नहीं है कि अपीलांट के पिता की मृत्यु कब हुई है। गुमना बल्द बरदा की मृत्यु होने के बाद दिनांक 23.10.2003 को फौतगो म्यूटेशन से 30 भरा गया है उस वक्त भी रेसपोडेन्ट के पिता गणेशा वल्द अचला का 1/2 हिस्सा बहैसियत खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज या तथा उसी माफिक कब्जा कास्त भी 1955 से आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जिसका ज्ञान गुमना वल्द वरदा को था गुमना की मृत्यु के बाद उनके वारिसान अपीलांटस को बखुबी था फिर भी अगर खातेदारी को लेकर कोई उजर ऐतराज होता तो 1991 ये लेकर 2016 तक कोई कार्यवाही नहीं करना अपने आप में स्वीकृति थी फिर भी वर्ष 2016 में दिनांक 19.12.2016 को रेस्पोडेन्ट गणेशा के वारिसान कुम्भाराम वगैरा द्वारा धमकी देने का कथन किया गया है जो सरासर गलत है। क्योकि गणेशा के जीवनकाल में गणेशा का तथा गणेशा की मृत्यु के बाद गणेशा के कायम मुकाम का कब्जा कास्त उक्त आराजी पर चला आ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

रहा है। जिससे दिनांक 19.12.2016 को किसी प्रकार की कोई धमकी अपीलांटस को देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आगे इसी पद में कथन किया है कि ऋण आदि भी उठा लेगे जबकि रेस्पोडेन्ट के पिता गणेशा ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर जालोर सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक शाखा, सांचौर से ऋण लिया था, जिसका चुकारा करने पर दिनांक 30.06.2010 को रहनमुक्त का म्यूटेशन भरा गया है। जिससे भी साफ जाहिर है कि ऋण देते वक्त उक्त आराजी पर बैंक के कर्मचारी मौका देखने अवश्य आये तब भी अपीलांटस के द्वारा किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नहीं किया जाना अपने आप में स्वीकृति होना दर्शाता है। फिर भी दिनांक 24.12.2016 को नकल फैसाला मय डिक्री पर्चा हेतु आवेदन करना प्रार्थना पत्र में लिखा गया है लेकिनकहा, किसको प्रस्तुत किया गया कोई कथन नहीं किया गया है। करीब 23 दिन बाद दिनांक 16.01.2017 को नकल प्राप्त होना अंकित किया गया है जो अपने आप में हास्यप्रद है क्योकि अर्जेन्ट नकल तीन दिन में तथा साधारण नकल सात दिन में मिल जाती है फिर भी 23 दिन बाद मिलना अंकित किया गया है दिनांक 16.01.2017 को नकल मिलने के बाद अपील राजस्व अपील अधिकारी, पाली केम्प जालोर को अपील दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तुत की गई है लेकिन धारा 5 परिसीमा अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि देरी का कारण प्रत्येक दिन का स्पष्ट करना होगा लेकिन अपीलॉट द्वारा नकल मिलने के उपरान्त दिनांक 16.01.2017 से दिनांक 14.02.2017 तक अपीलांट ने क्या–क्या किया इसका उल्लेख इस प्रार्थना पत्र में नहीं है तथा क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, पाली कैम्प, जालोर को पेश की गई तथा वहां से दिनांक 17.05.2017 को पुनः लौटाने का उल्लेख अपील मीमो की पुस्त पर है जो अपील दिनांक 19.06.2017 को प्रस्तुत की गई है जो भी देरी से यदि दिनांक 17.05.2017 को लौटाने के बाद दिनांक 19.06.2017 को प्रस्तुत की गई है जो देरी का कोई कारण अथवा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साफ जाहिर है कि अपीलांट के पिता गुमना तथा गुमना को मृत्यु के बाद अपीलांट को फौतगी म्यूटेशन भरवाने की तारीख दिनांक 23.10.2003 से पूर्व से पूर्ण जानकारी होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे साफ जाहिर होता है कि उक्त आराजी में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का 1/2–1/2 हिस्सा होने से कभी भी कोई उजर एतराज नहीं किया गया तथा अब जमीनों के भाव बढ जाने से केवल रेसपोडेन्टस को हैरान व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों से यह अपील पेश की है जिससे प्रार्थी की अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने योग्य नहीं होने से खारीज की जाये।

7. बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया है कि मौजा दुठवा तहसील सांचौर में खसरा नम्बर 700 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा भूमि गमना पुत्र वरदा कौम माली की थी। अपीलांटस गमना पुत्र वरदा के वारिसान है सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांचौर मुख्यालय होतीगांव के न्यायालय में विचाराधीन रहे प्रकरण संख्या 295/1956 में निर्णय दिनांक 06.04.1956 के जरिये प्रतिवादी गणेशा द्वारा 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त की गई है। निर्णय दिनांक 06.04.1956 के साथ में डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान में स्पष्ट तौर से गुमना वल्द वरदा कौम माली साकिन देह लिखा हुआ था। इस पर दुसरे अक्षरो में कोट छोट कर गणेशा वल्द अचला का 1/2 हिस्सा लिखा गया है। पत्रावली संख्या 295/1956 में कोई दिनांक आदि नहीं लिखी गई है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा उक्त

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

दावे में सुनवाई हेतु खातेदार गुमना को नोटिस नहीं दिया और न ही तामिल हुआ है। वर्ष 1956 को पत्रावली में गमना का जबाव फर्जी है। क्योकि गुमना के जबाव पर एडवोकेट के हस्ताक्षर नही है। दावा दिनांक 17.04.1956 को पेश और गमना का जबाव दिनांक 18.04.1956 को पेश हुआ है। जबकि गमना कभी भी सहायक भू प्रवन्धक अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुआ है। वर्ष 1956 में दावा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया था। जिसमे हुए निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी नहीं हुआ है। बिना डिक्री पर्चा के खातेदारी को चेन्ज नहीं किया जा सकता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारीज कर पुनः अपीलाट के नाम सम्पुर्ण खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर भी कथन किया गया कि मिसल नम्बर 295/1956 मौजा दुठवा के निर्णय दिनांक 01.04.1956 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 19.12.2016 को हुई जब रेस्पोडेट गणेशा के वारिसान कुम्भाराम वगैरा ने धमकी दी की उपरोक्त खातेदारी पर जवरदस्ती कब्जा कर ऋण ले लेगे तथा उसका हस्तान्तरण भी कर ले लेगें। जिस पर अपीलांट को शक तब सम्पुर्ण पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 24.12.2016 को आवेदन पत्र पेश करने पर दिनांक 16.01.2017 को नकल प्राप्त हुई। जिसमें डिक्री पर्चा की नकल नहीं मिली। इस प्रकार नकल मिलने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। इस निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली केम्प जालोर के न्यायालय में दिनांक 14.02.2017 को पेश की गई। जिसे राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा क्रमांक 105 दिनांक 17.05.2017 के जरिये अपील पुनः लोटाकर निर्देश दिये कि सुनवाई का अधिकारी क्षेत्र नहीं होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे। इस प्रकार अपील पुनः प्राप्त होने पर श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अतः देरी के लिए क्षमा करते हुए अपील को अदर म्याद शुमार फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा तर्क दिया गया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांचौर के न्यायालय में दावा बाबत् दुरूस्त कराने ईन्द्राज खेत खसरा नम्बर 700 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा गुणेशा वल्द अचला द्वारा प्रस्तुत करने पर मिसल संख्या 295/1956 कायम हुई। जिसमें दिनांक 06.04.1956 को निर्णय हुआ। जिसके आधार पर रेस्पोडेट को 1/2 हिस्से की खातेदारी के अधिकार प्राप्त हुए है। प्रकरण संख्या 295/1956 में गमना वल्द वरदा कौम माली द्वारा दिनांक 18. 04.1956 को ईकवालीया जवाव प्रस्तुत किया गया तथा गमना वल्द वरदा द्वारा दिये गये बयानों एवं कब्जे के आधार पर सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी सांचौर द्वारा दिनांक 06.04.1956 को निर्णय पारित किया गया है। इसी के आधार पर दोनो पक्षों को 1/2–1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 06.04.1956 के विरूद्ध यह अपील 61 वर्ष व्यतीत होने के बाद जानकारी का अभाव होना बताते हुए प्रस्तुत की गई है। जबकि वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेन्ट के पूर्व से ही अपीलांट व रेस्पोडेट अपने–अपने 1/2–1/2 हिस्सा आराजी पर काश्त करते आ रहे है। अपीलांट के पिता गमना की मृत्यु होने पर नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 31.10.2003 को स्वीकृत हुआ है। तब गुमना वल्द वरदा 1/2 गणेशा वल्द अचला 1/2 कौम माली साकिन देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। जिसकी जानकारी अपीलांट को भलीभांती रही है। रेस्पोडेट के पिता गणेशा बल्द अचला द्वारा खसरा नम्बर 61,62,63,64 व 65 कुल रकबा 7.76 में से 1/2 स्वयं के हिस्से

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की खातेदारी भूमि को रहन रखकर जालोर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक शाखा सांचौर से ऋण प्राप्त किया गया था तथा रहन मुक्त का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 17.01.2013 को स्वीकृत भी हुआ है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व खातेदारी हक के साथ खातेदार का मौके पर कब्जा होने का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। उक्त ऋण स्वीकृत से पूर्व बैंक अधिकारी द्वारा कब्जे का सत्यापन किया गया। उस वक्त अपीलांट भी अपने हिस्से की आराजी पर उपस्थित थे। इस प्रकार रेस्पोडेट लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसकी जानकारी अपीलांट को भी है। अपीलांट के पिता गमना वल्द वरदा की मृत्यु होने पर उत्ताराधिकार में अपीलांटस के नाम नामान्तरकरण होकर जमाबन्दी में दर्ज हुए है। जिससे भी अपीलांटस को यह जानकारी थी, कि उपरोक्त सम्पुर्ण आराजी में 1/2 हिस्से की आराजी के खातेदार है। अपीलांटस द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत अवश्य किया है। लेकिन अपील में वाद कारण दिनांक 19.12.2016 होना बताया है तथा मिसल नम्बर 295/1956 को नकल दिनांक 16.01.2017 को प्राप्त होना बताते हुए देरी के लिए माफी हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है। लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों अनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए प्रत्येक दिन का विवरण अंकित किया जाना होता है लेकिन अपीलांटस की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रत्येक दिन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही यह कथन किया गया कि धारा 181 आर.एल. आर.एक्ट के तहत इस अपील को सुनने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। क्योकि उक्त धारा में किसी क्षेत्र में जब बन्दोवस्त कार्य धारा 142 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष लम्बित रहे प्रकरणो के निस्तारण किये जाने की शक्तिया कलेक्टर के प्राप्त रहती है। अपीलांट द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है। जो राजस्थान भू–अधिनियम की धारा 75 (एफ) के अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा दिये निर्णय में यह कथन किया कि अपीलांटस द्वारा यह अपील सहायक भू प्रवन्ध अधिकारी सांचोर द्वारा मिसल संख्या 295/1956 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.1956 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (एफ) अनुसार सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी के रुप में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को प्राप्त नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटायी जाने का निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 14/2017 निर्णय दिनांक 09.10.2019 बअनवान खुमाराम वगैरा बनाम गणेशा वगैरा के निर्णय को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)